संदर्भ सं. 309.9/1/सीजी/एफ&आई-जीवन/2023-24
Ref. No.: 309.9/1/CG/F&I-Life/2023-24 दिनांक / Date: 02-02-2024

<u>एक्सपोजर प्रारूप</u>
<u>Exposure Draft</u>

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Corporate Governance) Regulations, 2024

आईआरडीएआई द्वारा की जा रही विनियमों की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में, व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि करने और हितधारकों के लिए अनुपालन के भार को कम करने के लिए एवं साथ ही, यह सुनिश्चित करते हुए कि पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण निरंतर जारी रहे, बीमा परिषदों से कहा गया कि वे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। परिषदों ने विनियम समीक्षा समिति (आरआरसी) का गठन किया।
As part of the comprehensive review of Regulations being undertaken by the IRDAI, to enhance the ease of doing business and also reduce compliance burden for stakeholders while also ensuring that interests of policyholders continues to be protected, Insurance Councils were asked to submit their recommendations. Councils constituted the Regulations Review Committee (RRC).

उक्त आरआरसी ने एक ढाँचे के रूप में आईआरडीएआई (कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 की सिफारिश की जो निम्नलिखित से संबंधित विषयों का समाधान करेंगेः
The RRC recommended IRDAI (Corporate Governance) Regulations, 2024 as a framework that would address the matters pertaining to the following:

क) कंपनी अभिशासन;
a) Corporate Governance;
ख) निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों (केएमपीएस) का पारिश्रमिक;
b) Remuneration of Directors and KMPs;
ग) प्रबंधकत्व (स्टूअर्डशिप) कूट;
c) Stewardship Code;
घ) सामान्य निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति या निरंतरता।
d) Appointment or Continuation of Common Director(s).

आईआरडीएआई ने आरआरसी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद और साथ ही, पालिसीधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, आईआरडीएआई (कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 का प्रारूप तैयार किया गया है और इसके साथ संलग्न किया गया है।
IRDAI after considering the recommendations of the RRC and also keeping the interest of the policyholders, the draft on IRDAI (Corporate Governance) Regulations, 2024 is prepared and annexed herewith.

उक्त विनियमों का उद्देश्य बीमाकर्ताओं के लिए अभिशासन संरचना; बीमाकर्ताओं के बोर्ड और प्रबंधन के दायित्वों और कर्तव्यों की संरचना उपलब्ध कराना जो: (क) सभी हितधारकों, विशेष रूप से पालिसीधारकों की प्रत्याशाओं की पहचान करती है और उन्हें पूरा करती है; तथा (ख) उक्त अभिशासन के लिए सुदृढ़ और विवेकपूर्ण सिद्धांतों और व्यवहारों के अंगीकरण को सुनिश्चित करती है।
The objective of the Regulations is to provide the governance structure for Insurers; responsibilities and functions of the Board and the management of Insurers which: (a) recognizes and meets the expectations of all stakeholders, particularly of policyholders; and (b) ensures adoption of sound and prudent principles and practices for the governance.

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे प्रस्तावित विनियमों **(अनुबंध-क)** के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव, यदि कोई हों, संलग्न फार्मेट **(अनुबंध-ख)** में 23 फरवरी, 2024 को अपराह्न 5.00 बजे या उससे पहले श्री बालाजी वेंकटरमणन को sbvramanan@irdai.gov.in पर तथा उसकी एक प्रति श्री मनोज कुमार को manoj@irdai.gov.in पर अग्रेषित करें।

All the stakeholders are requested to forward their comments / suggestions, if any, on the proposed regulations **(Annexure-A)** in the attached format **(Annexure- B)** on or before 5:00 PM on 23rd February, 2024 to Shri Balaji Venkataramanan sbvramanan@irdai.gov.in with a copy to Shri Manoj Kumar manoj@irdai.gov.in.